

मध्यप्रदेश शासन
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग
मंत्रालय, भोपाल


// आदेश //

भोपाल, दिनांक: / 10 / 2020

क्रमांक / 1010 / 2020 / अ-तेहत्तर:-राज्य शासन एतद द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 बजट शीर्ष 35-4851-101-0101-7340-नवीन जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र भवनों का निर्माण # 64-001 में वर्तमान में व्यय हेतु शेष रूपये 11.00 लाख है तथा जिला व्यापार उद्योग केन्द्र, विदिशा के भवन निर्माण पूर्ण करने के लिये रूपये 21.85 लाख (पूँजीगत मद में) की आवश्यकता होने के फलस्वरूप कार्यपूर्ति के दृष्टिगत बजट शीर्ष 35-4851-101-0101-7340-नवीन जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र भवनों का निर्माण # 64-001 में रोकी गई राशि रूपये 30.00 लाख में से रूपये 11.00 लाख (शेष रूपये ग्यारह लाख) विमुक्त करते हुए व्यय की अनुमति दी जाती है।

2/ उपरोक्त अनुमति वित्त विभाग द्वारा अपने यू.ओ. क्रमांक 317/आर-386/ब-2/iv, दिनांक 01.10.2020 से प्रदान की गई है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग


भोपाल, दिनांक 07 / 10 / 2020

पू.क्रमांक 118/1010/2020/अ-तेहत्तर
प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल,
2. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर,
3. उद्योग आयुक्त, (एमएसएमई) मध्यप्रदेश, भोपाल,
4. आयुक्त कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश, भोपाल,
5. कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश विन्ध्याचल भवन, भोपाल,
6. अवर सचिव (नोडल अधिकारी) वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल,
7. फाईल फोल्डर,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

8. सहायक उद्योग संचालक (सूचना प्रौद्योगिकी कक्ष), उद्योग संचालनालय, भोपाल-
विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग